राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

(पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांकः प.8(44)(3) प.आ./R.S.S.B./लि.ग्रे.II/कनि.सहा.सं.सी.भ.प./2018/600 दिनांकः 06.09.18

विज्ञप्ति

राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम–1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय एवं अधीनस्थ) नियम तथा विनियम 1999 एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम–1999 के अन्तर्गत क्रमशः शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के लिए लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांकः 16.04.2018 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांकः 1422 दिनांकः 20.04.2018 व क्रमांकः 2858 दिनांकः 07.06.2018 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे ।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती हेतु चतुर्थ चरण की परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :–

परीक्षा दिनांक	प्रथम सत्र/प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय सत्र/द्वितीय प्रश्न पत्र
16.09.2018 (रविवार)	प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक	अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक

उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली परीक्षा में निम्नलिखित अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे :–

1. ऐसे अभ्यर्थी, जिनका अंग्रेजी में नाम अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) **S to Z (एस से जेड तक)** में से किसी अक्षर से प्रारम्भ होता है।

2. ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) A to G (ए से जी तक) में से किसी अक्षर से प्रारम्भ होता हो एवं जिन्होनें बोर्ड के विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांकः16.04.2018, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांकः 1422 दिनांकः 20.04.2018 व क्रमांकः 2858 दिनांकः07.06.2018 के क्रम में लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के लिए "विशेष योग्यजन श्रेणी" (Specially abled category) में आवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु दिनांकः 12.08.2018 को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं, वे दिनांकः 16.09.2018 को आयोजित होने वाली चतुर्थ चरण की उक्त परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

   किन्तु "विशेष योग्यजन श्रेणी" (Specially abled category) में आवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी अभ्यर्थी ने यदि दिनांकः 12.08.2018 को सम्पन्न प्रथम चरण की परीक्षा में भाग लिया है तो वह दिनांकः 16.09.2018 को आयोजित होने वाली चतुर्थ चरण की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी दिनांकः 16.09.2018 को आयोजित होने वाली परीक्षा में उपस्थित नहीं हों, अन्यथा उनकी दोनों परीक्षाएं निरस्त की जा सकती हैं।

3. **"प्रोविजनल ई– प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांकः 08.09.2018 (शनिवार) को सायं 5.00 P.M. बजे पश्चात् से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें।** बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
4. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे /बहकावे में नहीं आवें । किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें । नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
5. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

..........2/–

6. **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दिनांक को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 1½ घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें** ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

7. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से एक, उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु **2.5cm×2.5cm** साईज के नवीनतम **दो रंगीन फोटो (एक–एक फोटो प्रत्येक सत्र हेतु)** एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें ।

8. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।

9. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें।

10. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉगटेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एंव पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

11. ऐसे विशेषयोग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांकः 16.04.2018 के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा ।

12. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी हैः–

(i) पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट /टी–शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल /स्लीपर पहन कर आयेंगे ।

(ii) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता /ब्लाउज, हवाई चप्पल /स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा कर आवेंगी ।

(iii) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी ।

(iv) परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर नहीं आ सकेंगे ।

(v) परीक्षार्थी परीक्षा में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे ।

(vi) यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

13. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी । परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र /उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी । प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/– (रू. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी ।

14. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है ।

..........3/–

15. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें । बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार—पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे ।

16. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।

(डॉ. बी0 एल0 जाटावत)
अध्यक्ष